न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–167/2010

प्रेम नारायण ओझा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

आशु राय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
01.08.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 04.03.2020 पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 04.03.2020 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा पूर्व में बिना श्रीमान् के न्यायालय से आदेश लिये एवं बिना प्रतिवादीगण के समक्ष फोटोग्राफ्स लेकर विशेषज्ञ जाँच कराकर जाँच रिपोर्ट दाखिल करना न्यायोचित नही है। प्रतिवादीगण आपत्ति करते है। प्रतिवादीगण द्वारा उस दस्तावेज को स्वीकार भी नही किया गया है। जिसको आधार बनाकर वादी जाँच कराना चाहते है। प्रतिवादीगण की तरफ से आपत्ति जताते हुये एक आवेदन दिनांक 20.07.2019 को दाखिल किया गया। जिसपर वादी के तरफ से प्रत्युत्तर एवं उभय पक्षों द्वारा सुनवाई उपरांत दिनांक 16.11.2019 को आदेश पारित किया गया। जिसके आलोक में प्रतिवादीगण द्वारा एक शपथ पत्र दिनांक 12.02.2020 को दाखिल किया गया। वादी द्वारा दिये गये विशेषज्ञ जाँच आवेदन को स्वीकार नही करते है। प्रतिवादीगण की तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 20.07.2019 एवं दिनांक 12.02.2020 को स्वीकृत कर वादी के विशेषज्ञ जाँच आवेदन दिनांक 29.08.2018 को अमान्य करते हुये न्यायोचित आदेश पारित किया जाय। वादीगण की ओर से दिनांक 13.01.2021 को प्रतिवादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य बताया गया तथा कहा गया कि प्रतिवादीगणों ने गलत नियत से आवेदन दिया है। जिनका मात्र एक उद्देश्य वाद को लंबित रखना है। प्रतिवादीगणों ने कहीं भी यह कथन नही किया है कि बयविलोफा दस्तावेज विपिन ओझा का लिखा हुआ नही है। प्रतिवादीगणों द्वारा आदेश दिनांक 16.11.2019 को कहीं चुनौती नही दिया गया है। उक्त तथ्यों के आलोक में प्रतिवादीगणों का वर्तमान आवेदन	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–167/2010</u>

प्रेम नारायण ओझा एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

आशु राय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 01.08.2023	औचित्यहीन एवं निरस्त होने योग्य है। अतः आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 16.11.2019 को प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 20.07.2019 पर उभय पक्षों को सुनकर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया तथा प्रतिवादीगण को निर्देश दिया गया कि इस आशय का प्रतिवादीगण शपथ पत्र दाखिल करें कि किस दस्तावेज पर विपिन ओझा का हस्ताक्षर/निशान सही है। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 12.02.2020 को शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा लिखा गया कि प्रतिवादी विपिन ओझा का लिखा दस्तावेज पता करने का प्रयास कर रहे है किन्तु वादियों के प्रभाव के कारण इलाका के लोग प्रतिवादियों साथ सहयोग नही कर रहे है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगणों के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से भी विपिन ओझा के द्वारा लिखा गया कोई दस्तावेज दाखिल नही किया गया बल्कि विपिन ओझा का लिखा दस्तावेज खोजने के प्रयास की बात कहीं गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा दिया गया आवेदन दिनांक 20.07.2019 को न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2019 को निस्तारित कर दिया गया था पुनः प्रतिवादीगण द्वारा उसी आशय का आवेदन दिनांक 04.03.2020 को दिया गया है। अतः न्यायालय द्वारा पूर्व में ही प्रतिवादीगण के आवेदन पर आदेश किया जा चुका है। जिसको प्रतिवादीगण द्वारा कहीं चुनौती नही दी गयी है। बल्कि पुनः इसी न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन दिया गया है। अतः प्रतिवादीगण के आवेदन दिनांक 04.03.2020 को खारिज किया जाता है। आगामी दिनांक 04.09.2023 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	